कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (शासकीय स्वशासी संस्था)
कार्यालय दूरभाष नंबर – 0731–2527383, ई–मेल –dean.ind@mp.gov.in DONATE ORGAN – SAVE LIFE अंगदान करें – जीवन बचाएँ

क्रमांक / 10642 / छात्रशाखा / 2025

इन्दौर दिनांक 5/6/25

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त विभागाध्यक्ष स्थानीय चिकितसा महाविघालय की ओर भेजकर लेख है कि आपके विभाग से उत्तीर्ण 2021 बेच के स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं को अपने स्तर पर उपरोक्त निर्देशों को अवगत कराने का कष्ट करे।
2. समस्त स्नातकोत्तर पाठयकम छात्रों/छात्राओं (बेच 2021) उत्तीर्ण को सूचित किया जाता है कि संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा म.प्र भोपाल के द्वारा उपरोक्त अधिसूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।
3. समस्त नोटिस बोर्ड – महाविघालय/समस्त चिकित्सालय /पीजी छात्र/छात्रा छात्रावास ।

(डॉ. अरविन्द घनघोरिया)
अधिष्ठाता
महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर

संचालनालय, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर, भोपाल,म0प्र0

वेबसाइट हेतु

क्रमांक 1जी/विज्ञप्त/सेल–संविदा/2025/ **543** दिनांक 04.06.2025

प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों से स्नातक एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण एवं इंटर्नशीप पूर्ण किए/एम0डी0एस0 बंधपत्र चिकित्सकों तथा स्नातकोत्तर अध्ययन पूर्ण किए बंधपत्र चिकित्सको की पदस्थापना हेतु ऑन लाईन विकल्प प्राप्त करने की सूचना एवं दिशा निर्देश

(दिनांक 26.04.2025 17.14 तक पोर्टल पर प्रविष्ट बंधपत्र चिकित्सकों हेतु)

1.	प्रदेश अंतर्गत संचालित शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा बी0एम0एस0पोर्टल पर स्नातक बंधपत्र /स्नातकोत्तर/एम0डी0एस0 बंधपत्र चिकित्सकों की सूची अपलोड की गई है। प्रत्येक स्नातक/स्नातकोत्तर बंधपत्र चिकित्सक को अनिवार्य बंधपत्र सेवा के अनुक्रम में बंधपत्र सेवायें प्रदान करना है। समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा ऐसे बंधपत्र चिकित्सकों जिनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए है, का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया गया है। समस्त बंधपत्र चिकित्सकों को चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रविष्ट की गई जानकारी का अवलोकन करने तथा नियुक्ति हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के लिए लॉग–इन आई0डी0 एवं पासवर्ड, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रविष्ट किए गए मोबाईल नम्बर पर प्रेषित किया जावेगा। पोर्टल की लिंक **https://mwmis.nhmmp.gov.in/mclogin.aspx** है। ऑन लाईन विकल्प प्रदान करने हेतु दिनांक 06.06.2025 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 12.06.2025 (रात्रि – 12.00 बजे) तक प्रेषित किए गए लॉग–इन एवं पासवर्ड द्वारा किया जा सकेगा।
2.	उपरोक्त दिनांक दिनांक 06.06.2025 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 12.06.2025 (रात्रि – 12.00 बजे) के पूर्व एवं पश्चात पोर्टल पर पृविष्टी नहीं की जा सकेगी। पदस्थापना हेतु अन्य किसी प्रकार का आवेदन अमान्य किया जावेगा।
3.	पोर्टल पर लॉग–इन एवं पासवर्ड की प्रविष्टी पश्चात, चिकित्सकों को चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रविष्ट की गई जानकारी का अवलोकन कराया जावेगा। उपलब्ध जानकारी के आधार पर बंधपत्र चिकित्सक का प्रावधिक मेरिट क्रमांक भी दर्शित किया जावेगा। यदि नाम, प्राप्तांक ,पूर्णांक आदि अन्य प्रविष्टी में कोई त्रुटि है तो संबधित चिकित्सक उक्त त्रुटी के संबंधत में रिमार्क कॉलम में अंकित करेंगे एवं संबंधित अधिठाता चिकित्सा महाविद्यालय के माध्यम से पुनः पोर्टल पर अपडेट करायेंगे। समस्त अधिष्ठाताओं की यह जिम्मेदारी होगी की चिकित्सकों से संशोधन संबंधी प्रकरणों का परीक्षण कर, समय–सीमा दिनांक 13.06.2025 (दोपहर–12.00 बजे) के पूर्व संबंधित चिकित्सक की संशोधित डाटा पोर्टल पर अपडेट करें।
4	उपरोक्त कार्यवाही के साथ ही पोर्टल पर चिकित्सक को जिले वार, संस्थावार रिक्तियों प्रदर्शित की जावेगी। प्रत्येक संस्था के समक्ष उनमें रिक्तियों की संख्या दर्शित की जावेगी, पोर्टल पर उक्त संस्था को सिलेक्ट कर चिकित्सक को संस्थाओं को वरीयता के आधार पर सिलेक्ट किया जाना है।
5.	एक बंधपत्र चिकित्सक अधिकतम 30 विकल्प का चयन कर सकेंगे। दर्शित रिक्तियों में से 30 से कम विकल्प चयनित करने पर मेरिट अनुसार पदस्थापना शेष रिक्तियों में से की जाएगी। एक बार विकल्प चयन कर सबमिट करने पर कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। चिकित्सकों के डाटा में त्रुटी सुधार,संशोधन के संदर्भ में पोर्टल पर अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा की गई प्रविष्टी उपरांत बंधपत्र चिकित्सकों की अंतिम वरीयता सूची (मेरिट सूची) तैयार की जावेगी । उक्त अंतिम मेरिट सूची अनुसार ही प्राप्त विकल्प अनुसार पदस्थापना स्थल का आवंटन किया जावेगा।
6	आवश्यक नहीं है कि विकल्प अनुसार पदस्थापना दी जाए, अंकित विकल्पों में पद रिक्तता अनुसार शासन की आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर पदस्थापनाऐँ की जाएगी। पदस्थापना के संबंध में विकल्प अनुसार पदस्थापना, किसी चिकित्सक का अधिकार नहीं होगा, इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत किसी प्रकार के परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किए जावेंगे। समय–सीमा में कार्यग्रहण नहीं करने वाले चिकित्सकों को पुनः कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी एवं उन्हें बंधपत्र राशि जमा करने के उपरांत ही बंधपत्र से मुक्त किया जावेगा।
7	चिकित्सकों द्वारा चाहे गए विकल्पों में पद रिक्तता न होने की स्थिति में अथवा नियत समयावधि में विकल्प प्रस्तुत न करने की स्थिति में विभागीय आवश्यकतानुसार पदस्थापना की कार्यवाही की जावेगी।

संचालक(राजपत्रित) द्वारा अनुमोदित

04/06/25

(डॉ राजू निदारिया)
वरिष्ठ संयुक्त संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,म0प्र0